08/2/21

पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान द्वारा की गई बहस के बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

(क)⇒ हस्तगत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में यह स्वीकृत तथ्य है कि -

(i) प्रार्थी संख्या 1 व 2; अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्व पत्नी से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्री है।

(ii) अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए वसीयत चक 4 जीडी-ए के मु. न. 24/46 के किला न. 1 ता 15 की कुल 15 बीघा खातेदारी कृषि भूमि अपने दादा से प्राप्त हुई।

(iii) अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त बिन्दु सं. (ii) अनुसार जरिए वसीयत प्राप्त भूमि को अपनी बहिन पिरोजी देवी को [illegible] पत्र दिनांक 01.02.2012 को [illegible] कर दिया।

(iv) अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 13.03.2012 को जरिए बैयनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.20 13:02:53 IST
Reason: SelfAttested

| क्रम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | जारी तामि नम्बर/दि |
|---|---|---|

(पृथक-पृथक) चक 27 एम.डी. का मु.न. 14 प.न. 205/9 की क्रमशः 4.365 है. व 1.960 है. भूमि खरीदी।

(ख) ⇒ हस्तगत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में उपर्युक्त स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त विवादक बिन्दु निम्न लिखित है- (अथवा कानूनी बिन्दु)

(i) क्या किसी व्यक्ति को जरिए वसीयत प्राप्त (अपने पिता से) भूमि उसके पुत्र के लिए पैतृक सम्पत्ति है?

(ii) क्या हस्तगत वादपत्र/प्रार्थनापत्र में उल्लिखित दान पत्र दिनांक 01.02.2012 दानदाता द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर निष्पादित किया गया?

(iii) यदि दानदाता द्वारा दानपत्र दिनांक 01.02.2012 प्रतिफल प्राप्त कर निष्पादित किया गया तो क्या उक्त प्रतिफल के रूप में प्राप्त राशि से बैयनामा दिनांक 13.03.2012 द्वारा चक 27 एम.डी. के मु.न. 14 प.न. 205/9 की 25 बीघा कृषि भूमि क्रय की गई।

हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को तीन बिन्दुओं क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के संबंध में निर्णय करना है, जिसके संबंध में न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार से है-

(i) प्रथम दृष्टया प्रकरण -

जैसा कि खण्ड 'क' में उल्लिखित है, यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्व पत्नी से उत्पन्न सन्ताने है। इसी ~~खण्ड~~ आदेशिका के खण्ड ख से स्पष्ट है कि हस्तगत वाद पत्र में यह महत्वपूर्ण विवाद बिन्दु है कि वाद में विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति माना जावे अथवा नहीं। यह विनिश्चय करने के लिए खण्ड 'ख' में अंकित प्रत्येक बिन्दु पर कानूनी, दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। यदि उक्तानुसार प्राप्त

Signature Not Verifi
Digitally signed by Pawar
Date: 2021.05.20 13:02:5
Reason: SelfAttested

साक्ष्यों से अन्ततः यह साबित हो जाता है कि प्रश्नगत भूमि को प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात् जरिए दानपत्र पैतृक भूमि को हस्तान्तरित कर उसी प्रतिफल की राशि से क्रय किया गया है, तो प्रार्थीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के उक्त प्रश्नगत भूमि में जन्म से ही अधिकार निहित होगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2013 WLC (Raj.) UC 426 में भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का मत है कि वाद में यदि विचारणीय विवाद्यक हो तो अस्थायी व्यादेश निर्गत किया जाना चाहिए। अतः उक्त विवेचन के क्रम में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

(ii) सुविधा का सन्तुलन -

जहाँ तक सुविधा के सन्तुलन का प्रश्न है, यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि को विक्रय, रहन अथवा अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया जाता है एवं अन्ततः वाद का निर्णय वादीगण के पक्ष में होता है तो असुविधा प्रार्थीगण को होगी। इससे न केवल प्रार्थीगण को असुविधा होगी, बल्कि यह कदम भविष्य में लिटिगेशन को बढ़ावा देने वाला भी होगा। इस तरह सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

(iii) अपूर्णनीय क्षति -

यदि न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है एवं दौराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद प्रश्नगत भूमि को रहन, बेचान अथवा अन्यथा खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है तथा अन्ततः वाद का विनिश्चय वादीगण के पक्ष में होता है, तो प्रार्थीगण का अपूर्णनीय क्षति होगी, क्योंकि प्रार्थीगण अपनी संपत्ति के उपभोग एवं उपयोग से वंचित हो जायेंगे। अतः अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

Signature Not V
Digitally signed by F
Date: 2021.05.20 1
Reason: SelfAttest

क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जारी तामिल का नम्बर / दिनांक

अत: उपर्युक्तानुसार न्यायालय की राय में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है, फलत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का. अ. स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

— : आदेश : —

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का. अ. स्वीकार कर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा एतद्द्वारा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण तहसील अनूपगढ़ के चक 21 एमडी के प.न. 205/09 मु.न. 14 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर कमांड कृषि भूमि को मूल वाद के निस्तारण तक रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तान्तरित न करें एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाकर रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.20 13:02:53 IST
Reason: SelfAttested

20/5/21

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़